

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

24 सुजानगढ़ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री मनोज कुमार (नाम)

ग्राम - बाघसरा पूर्वी पोस्ट - शोभासर, तह. सुजानगढ़ जिला - चूरु (राज.) (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु

दिनांक.: 03-12-2023



(रमेश कुमार)

(रिटर्निंग ऑफिसर)

24-सुजानगढ़ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुजानगढ़

# Form 21C

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

## Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 24-Sujangarh(SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **MANOJ KUMAR** (Name)

**VILLAGE - BAGHSARA PURVI POST - SHOBHASAR, TEH. SUJANGARH  
DISTT. - CHURU (RAJ.)** (Address)

sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognised/registered political party)  
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :Govt. Lohia College, Churu

Dated : 03-12-2023



  
(**RAMESH KUMAR**)  
Returning Officer  
24-Sujangarh (S.C.) Assembly Constituency  
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Sujangarh  
(**D.O. & S.D.M.**) SUJANGARH